Unique Identification Authority of India
Government of India

प्रपत्र 6: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

AADHAAR
Mera Aadhaar, Meri Pehchaan

1	**प्रयोजन :** ☐ नामांकन या ☐ अद्यतन
2	**जनसांख्यिकीय सूचना** *(अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :*
	(क) नाम : *(कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें)*
	(ख) लिंग : ☐ महिला ☐ पुरुष ☐ तृतीय लिंग / परलैंगिक *(ट्रांसजेंडर)*
	(ग) जन्म तिथि : ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY) या **आयु :** ☐☐☐ वर्ष ☐ सत्यापित या ☐ घोषित या ☐ अनुमानित *(केवल आयु के लिए)* *(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)*
	(घ) ईमेल :
	(ङ) मोबाइल नंबर : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
3	**नामांकन/अद्यतीकरण का आधार** : ☐ दस्तावेज सत्यापन या ☐ परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* द्वारा पुष्टि
4	**दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :** *(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)*
	(क) पता *(वैध पासपोर्ट के अनुसार)* **:**
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)* (i) पहचान का सबूत *(पीओआई) :* वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत *(पीओए) :* वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी) (ऐच्छिक) :*
5	***एचओएफ*-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :**
	(क) *एचओएफ* के ब्यौरे : (i) माता का नाम : — आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ और/या (ii) पिता का नाम : — आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ (iii) यदि केवल एक माता या पिता का ब्यौरा दिया गया है तो, दूसरा वर्तमान में बालक/बालिका के साथ रह रहा है या नहीं : ☐ हां ☐ नहीं
	या
	(iv) विधिक संरक्षक का नाम : — आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(v) बालक/बालिका से संबंध : ☐ माता और/या ☐ पिता या ☐ विधिक संरक्षक
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार : *(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)*
	मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्द्वारा सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।
	हस्ताक्षर : — माता : — और/या पिता : — या विधिक संरक्षक :
6	**अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :**
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : ☐ बायोमेट्रिक (फोटो) ☐ नाम ☐ जन्म तिथि ☐ लिंग ☐ पता ☐ मोबाइल ☐ ईमेल ☐ *पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों का अद्यतीकरण

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि—
   (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;
   (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और
   (ग) बालक/बालिका भारत का/की एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।
2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
4. मैं/हम पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्द्वारा अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।

हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक:
सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	तारीख और समय :	

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 6 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	*जनसांख्यिकीय सूचना :*		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में उनका नाम हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि *(डीओबी)* या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, *डीओबी* या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✔) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी)* उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्तूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि *पीडीबी* उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि *(डीओबी)* या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	*एनआरआई* के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई *एसएमएस / टेक्स्ट* संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
4	*दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	पता	(1) वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार विवरण दर्ज करें। (2) आधार पत्र दर्ज पते पर भारतीय डाक के द्वारा भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) *एनआरआई* के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य *पीओआई* और *पीओए* है।	अनिवार्य
5	*एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	*एचओएफ* के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (5) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत *(पीओआर)* दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	*अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :*		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ *125* *(*यदि 7 से 15 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है: निःशुल्क, 30.09.2026 तक)*
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क शुल्क (केवल बायोमेट्रिक अद्यतीकरण का ही शुल्क लागू) (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ *75*
4.	*पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ *75*

नोट : आवेदक के विदेशी सहायकों को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसे शुल्क देय होंगे जो प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकता है।